न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः- सरिता नौशाद, जिला न्यायाधीश संवर्ग
फौजदारी अपील संख्याः- 11/2017
सी.आई.एस. नम्बरः- 01/2017
सी.एन.आर. नम्बरः- RJBK130000072017
अजीज पुत्र फारूख निवासी मोचीवाड़ा वार्ड नम्बर 13 बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

-अपीलान्ट/अभियुक्त-

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, बीकानेर

-रेस्पोडेन्ट-

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21-03-2017 द्वारा श्री प्रदीप कुमार ii, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्या 87/2014 राजस्थान राज्य बनाम अजीज जुर्म धारा 457,380 भा.द.सं.

उपस्थितिः-
1- विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सोहननाथ सिद्ध राज्य सरकार की ओर से।
2- विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनलाल सोनी अपीलान्ट/अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 06-05-2026

1- यह अपील **श्री प्रदीप कुमार** ii न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक **21-03-2017** के विरूद्ध पेश की गई। इस निर्णय द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ ने अपीलान्ट/अभियुक्त अजीज को अपराध अन्तर्गत धारा **457,380** भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा 457 भा.द.सं. में सात वर्ष का कठोर करावास व दस हजार रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त कारावास से व धारा 380 भा.द.सं. में सात वर्ष का कठोर करावास व दस हजार रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/अभियुक्त अजीज ने उक्त अपील की है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी श्रीनिवास पुत्र मोहनसिंह ने दिनांक 01/11/2013 को 11.45 पी.एम. पर पुलिस थाना

श्रीडुंगरगढ में थानाधिकारी के समक्ष एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एक दुकान चैधरी मोबाईल हाऊस पुराना बस स्टेण्ड मैन बाजार, श्रीडुंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी का लड़का बजरंग उक्त दुकान में बैठता है। दिनांक 30/10/2013 को रात्रि 10.30 बजे प्रार्थी व इसका लड़का दुकान बंद करके अपने घर चले गये। दिनांक 31/10/2013 को सुबह सात बजे अपनी दुकान के पड़ोसी गोकुलराम द्वारा फोन करके बताना बताया कि आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है। तब प्रार्थी ने अपनी दुकान में आकर देखा कि दुकान शटर खुला हुआ है व दुकान में रखे विभिन्न कंपनियो के मोबाईल क्रमशः रेज मोबाईल नग 20, सेमसंग मोबाईल नग 20, नोकिया नग 25, लेमन नग 15, स्पाईस नग 15, इन्टेक्स नग 5, कार्बन नग 7, लावा नग 5, चायनीज मोबाईल नग 50 व गल्ले में रखे 5,000/- रूपये नकदी गायब थे। कोई अज्ञात चोर रात्रि को दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे उक्त सामान व नकदी को चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 430/01.11.2013 अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान दिनांक 05/03/2014 को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 380, 457 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

4- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 गोकुलचंद, पी.ड.02 श्रीनिवास परिवादी, पी.ड.03 बजरंगलाल परिवादी का बेटा, पी.ड.04 बीरबलसिंह मालखाना इन्चार्ज, पी.ड.05 नाहरसिंह अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 फर्द जब्ती माल मशरूका दो चांदी के सिक्के, 1700/- रूपये नकदी तथा मेमोरी कार्ड व कूपन, प्रदर्श 02 फर्द बरामदगी 118 नग मोबाईल, प्रदर्श पी03-(शून्य) निल, प्रदर्श पी04 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी05 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी06 नक्शा-मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी06 पुनः मालखाना रजिस्टर, प्रदर्श पी07 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी08 फर्द इतिला, प्रदर्श पी09 नक्शा-मौका बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी10, चाक एफ.आई.आर संख्या 23/2013 जी.आर.पी. जोधपुर, प्रदर्श पी11 फर्द जब्ती जमा तलाशी प्रदर्शित करवाये गये।

5- बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध

किये गये तो अभियुक्त ने गवाहान के कथन गलत होना व झूठा फंसाया जाना बताया तथा स्वयं का निर्दोष होना बताया है व साक्ष्य-सफाई पेश करनी चाही परंतु नहीं की गई। इसके पश्चात बहस अंतिम सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया।

6- बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में साक्ष्य का पूर्ण विश्लेषण नही किया है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने जितने मोबाईल अपने चोरी होना बताया है, उससे अधिक अभियुक्त से बरामद करना बताकर उनकी सुपुर्दगी की गई है। दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। परिवादी ने जो बिल पेश किये है, वे बरामदशुदा मोबाईलो के ई.एम.आई. संख्या से मैच नहीं खाते है। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट की कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं है। अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अभियुक्त को बरी किया जावें।

7- जवाब बहस में विद्वान अभियोजन अधिकारी का कथन है, कि अभियोजन द्वारा अपने गवाहान की मौखिक साक्ष्य व फर्द जब्ती आदि दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावें।

8- उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि है और क्या इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार मौजूद है।

9- विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय की समग्र पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात व अलौच्य निर्णय के अध्ययन के पश्चात पत्रावली पर विधमान साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि सूक्ष्मतापूर्वक Appericiation Of Evidence से ही सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। परिवादी श्रीनिवास ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30/10/2013 को रात्रि 10.30 बजे ये और इसका लडका बजरंग अपनी दुकान बंद करके घर चले गये थे। सुबह 07 बजे गोकुलप्रसाद, इसके दुकान के पड़ोसी ने इसे फोन किया की आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है। ताले टूटे हुए है। चोरी हो गई है। तब ये और इसका लड़का दोनो दुकान पर आये और चैक किया तो गले में से 5,000/- रूपये व मोबाईल नोकिया 20 नग, रेग के 25 नग, सैमसंग के 20 नग व दो

चांदी के सिक्के चोरी हुए थे जिस पर उमारवनी भूतपूर्व सरपंच रामसरा लिखा था। जो मुल्जिम अजीज पुत्र फारूख की निशादेही से बरामद किये थे। फर्द जब्ती दो चांदी के सिक्के, 1700 रूपये की प्रदर्श पी01 है जिस पर ए से बी इसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी 118 नग मोबाईल जो मुल्जिम की निशादेही से बरामद किये थे, उनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी02 होना व उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताए है। घटना रिपोर्ट स्वयं द्वारा देना जो प्रदर्श 04 होना व इस पर कार्यवाही पुलिस प्रदर्श पी04 ए पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये तथा चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी05 पर भी अपने ए से बी हस्ताक्षर बताये है। इस प्रकार इस गवाह ने कुल 65 मोबाईल, दो चांदी के सिक्के व पांच हजार रूपये चोरी होना बताये है और अभियुक्त से 118 मोबाईल व 1700 रूपये बरामद करना बताये है। गवाह पी.ड.02 श्रीनिवास परिवादी जिरह में कहता है कि प्रदर्श पी01 व पी02 में क्या लिखा है पता नहीं। इन फर्दात पर पुलिस के कहने से हस्ताक्षर किये थे। मोबाईल कहां से खरीदे व उनकी कंपनी कौनसी थी आदि बाते स्वयं को पता नहीं होना व अपने बेटे बजरंग को पता होना बताया उसकी को मोबाईल का मालिक होना बताया। अभियुक्त अजीज द्वारा चोरी करना पुलिसवालो ने बताया। इस प्रकार इस गवाह के कथनानुसार मोबाईल आदि की समस्त जानकारी इसके पुत्र बजरंग को है। गवाह पी.ड.03 बजरंगलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इसने अपने पिता पी.ड.02 श्रीनिवास के साथ अपनी दुकान पर जाकर चैक किया तो मोबाईल सैमसंग 20 नग, रेज 20 नग, लेमन 15 नग, स्पाईस 15 नग, लावा 07 नग, इन्टेक्स 05 नग, कार्बन 05 नग तथा 50 चाईनीज मोबाईल नहीं मिले।

10- उक्त दोनो गवाहान पिता-पुत्र के कथनो के साथ-साथ प्रदर्श पी04 तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन किया जाये तो इसमें चोरी किये गये मोबाईलो का हवाला दिया गया है उनमें रेज मोबाईल 20 नग, सैमसंग 20 नग, नोकिया 25 नग, लेमन 15 नग, स्पाईस 15 नग, इन्टेक्स 05 नग, कार्बन 07 नग, लावा 05 नग तथा चायनीज मोबाईल 50 नग होना बताये है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी02 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि इसमें अभियुक्त अजीज से दिनांक 18/12/2013 को कुल 118 मोबाईल उसके मकान मोचीवाड़ा श्रीडुंगरगढ से रूबरू मौतबिरान बजरंगलाल पी.ड.03 तथा महावीरप्रसाद के सामने बरामद करना अंकित है। निरीक्षण से पाया जाना अंकित है कि नोकिया 105 के 06 मोबाईल जिनके ई.एम.आई. क्रमांक फर्द में अंकित है, नोकिया 114 के 04 नग, नोकिया 112 का 01 नग, नोकिया 101 के 02 नग, नोकिया 107 का 01 नग, नोकिया +08 का 01 नग, सैमसंग कंपनी के 02, गुरू 1200 कंपनी के 04, सैमसंग 67 के 02, सैमसंग चाम का 01 नग, सैमसंग REX का 01 नग, सैमसंग GPO का 01

नग, सैमसंग गुरू के 02 नग, सैमसंग मैट्रो का 01 नग, रेग कंपनी के 04 नग, रेग नैनो डबल के 09 नग, रेग वंडर डबल के 08 नग, रेग ड्यूक के 03 नग, रेग वैलवैल के 02 नग, रेग बोल्ड का 01 नग, रेग अल्ट्रा का 01 नग, रैग ओपटिमा का 01 नग, लेमन कंपनी के 04 नग, लेमन बी के 02 नग, लेमन बी 159 का 01 नग, लेमन बी569 का 01 नग, स्पाईस के 02 नग, स्पाईस ड्वेलसिम का 01 नग, स्पाईस एम का 01 नग, स्पाईस एम 5016 का 01 नग, कारबोन कंपनी का 01 नग, कार्बोन के का 01 नग, कार्बोन जम्बो का 01 नग, जैनटेक्स कंपनी का 01 नग, लावा का 01 नग, स्पराईकर का 01 नग, BYOHO कंपनी का 01 नग, इस प्रकार कुल 68 भारतीय कंपनियो के मोबाईल जब्त होना अंकित है। इसी तरह चायनीज कंपनियो के PURPUSE कंपनी का 01 नग, P 17 कंपनी का 01 नग, P 20 कंपनी को 02 नग, P23 कंपनी का 01 नग, KECHAODAK 67 कंपनी के 02 नग, K 77 कंपनी का 01 नग, K 88 कंपनी का 01 नग, K 9 कंपनी का 01 नग, MINEK कंपनी का 01 नग, WING M 98 कंपनी के 02 नग, TEL E कंपनी के 02 नग, रिचटेक कंपनी के 02 नग, KECHAOBO कंपनी का 01 नग, K-SMINI कंपनी का 01 नग, KECHODO 3322 कंपनी के 02 नग, DTD कंपनी के 02 नग, MVL कंपनी का 01 नग, XP 28 कंपनी का 01 नग, MONIX कंपनी का 01 नग, X286 कंपनी का 01 नग, K95 कंपनी का 01 नग, TopT22 कंपनी का 01 नग, XLTEL कंपनी का 01 नग, GGI कंपनी का 01 नग, Vellcomve कंपनी का 01 नग, रिचटेल कंपनी का 01 नग, iPlusei कंपनी का 01 नग, Kotel कंपनी का 01 नग, SICT कंपनी का 01 नग, HOOAT+I कंपनी का 01 नग, BY2k कंपनी का 01 नग, Kenxinda कंपनी का 01 नग, Loynn कंपनी का 01 नग, G-VIII कंपनी का 01 नग, ACE कंपनी का 01 नग, yeptel कंपनी का 01 नग, Moggie कंपनी का 01 नग, GEO Tel Star कंपनी का 01 नग, गोल्डन ड्यूक कंपनी का 01 नग, मैक्सविन कंपनी का 01 नग, Esky कंपनी का 01 नग, Yestel कंपनी का 01 नग, iplus कंपनी का 01 नग, Ken कंपनी का 01 नग, Opol कंपनी का 01 नग, X-Nine कंपनी का 01 नग इस प्रकार कुल 53 चाईनीज मोबाईल व कुल 118 मोबाईल मुकदमा हाजा का माल मशरूका होने से जब्त करना प्रदर्श पी02 पर अंकित किया गया है। उक्त जब्तसुदा 118 मोबाईलो के ई.एम.आई. नंबर उक्त फर्द पर अंकित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बाद जांच परिवादी को उक्त मोबाईल सुपुर्दगी पर दिये गये है। इनके बिल आदि परिवादी द्वारा दौराने सुपुर्दगी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गये है। अभियुक्त से जरिए प्रदर्श पी02 के जब्तसुदा मोबाईल परिवादी की दुकान से चोरीशुदा मोबाईल होना प्रथमदृष्टया पाया जाकर सुपुर्दगी पर दिये गये है। उक्त जब्ती अभियुक्त की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी08 की इतिलानुसार

अनुसंधान अधिकारी द्वारा की जाना बताई गई है। बरामदगी अभियुक्त के मकान में से अभियुक्त की निशादेही से करवाई गई है।

11- गवाह पी.ड.01 गोकुलचंद, परिवादी का दुकान पड़ोसी है जिसके द्वारा दुकान के शटर खुले होने की स्वयं को सूचना देना परिवादी पी.ड.02 श्रीनिवास व उसका बेटा पी.ड.03 बजरंगलाल बताते है इनके कथनो की पुष्टि पी.ड.01 गोकुलचंद करता है व स्वयं द्वारा इनको सूचना देना बताता है।

12- गवाह पी.ड.04 बीरबलसिंह मालखाना इंचार्ज दिनांक 18/12/2013 को 118 नग मोबाईल शील्डशुदा हालत में नाहरसिंह एएसआई द्वारा मालखाना में जमा करवाना व मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 611ए पर इसका इन्द्राज होना व प्रदर्श पी06 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति होना बताता है।

13- गवाह पी.ड.5 नाहरसिंह अनुसंधान अधिकारी का कथन है कि जी.आर.पी थाना बीकानेर द्वारा अभियुक्त से दो चांदी के सिक्के, 1700/- रूपये नकद, 10 नग चार जी.बी मेमोरी कार्ड, चार एडेप्टर, 15 रूपये के आईडिया के रिचार्ज कूपन 13 नग कब्जे में लिये गये। जो इस मुकदमे का मालमशरूका होने से जी.आर.पी थाना से स्वयं के कब्जे में लेना बताया है। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी01 को गवाह ने साबित किया है। अभियुक्त की दफा 27 साक्ष्य-अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी08 के मुताबिक अभियुक्त के कब्जे से स्वयं द्वारा 118 मोबाईल विभिन्न कंपनियों के जरिए प्रदर्श पी02 जब्त करना बताये है। दिनांक 12/12/2013 को न्यायालय के आदेश से बरामदशुदा माल परिवादी को सुपुर्द करना बताया है।

14- प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457,380 भा.द.सं. के अपराध के आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान व अपील याचिका में जो आधार लिए है उनसे उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय सहमत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनतापूर्वक विश्लेषण करके निर्णिय पारित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 21-03-2017 को पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से परे नहीं माना जा सकता और न ही इसमें विधिक त्रुटि है।

11. परन्तु जहां तक दण्डादेश के संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांकित 21-03-2017 को देखा जाए तो अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.सं. की धारा 457 के आरोप में सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये जर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का

अतिरिक्त कारावास से तथा धारा 380 भा.द.सं. के आरोप में सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये जर्माना, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का अतिरिक्त कारावास से से दण्डित किया गया है।

12. इस संबंध में आज परिवादी श्रीनिवास का पुत्र बजरंग न्यायालय में उपस्थित है जिसने परिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र व स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपना अपीलार्थी/अभियुक्त से राजीनामा होना बताया एवं स्वयं की दुकान में हुये नुकसान का हर्जाना भी प्राप्त करना बताया एवं उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मृतक श्रीनिवास ने अपने पुत्र बजरंग की दुकान से ही मोबाइल फोन चोरी होना बताया है तथा बजरंग आज न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त से अपना राजीनामा होना बताया एवं हर्जाना प्राप्त करना बताया है। अपीलार्थी/अभियुक्त गरीब मजदूरी पेशा नव यूवक है जो सन् 2013 अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। इसलिए केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 21-03-2017 दण्डादेश की सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

13. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त अजीज पुत्र फारूख निवासी मोचीवाडा वार्ड नम्बर 13 बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील विरूद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-03-2017 की अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 457,380 भा.द.सं. के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने की सीमा तक पुष्टि की जाती है तथा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 21-03-2017 दण्डादेश की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त अजीज को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत दस-दस हजार रूपये के जमानत मुचलके विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष एक माह के भीतर पेश कर तस्दीक करवाने पर निम्न लिखित शर्तो पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर उसे रिहा किया जाएः-

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी तथा वह सदाचार बनाये रखेगा।

2. अपीलार्थी/अभियुक्त को जब भी विचारण न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए तलब किया जावेगा, वह स्वयं को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगा।

3. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय की अनुमति के बिना अपने स्थायी पते में परिवर्तन नहीं किया जावेंगा।

4. परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त पर कुल 2000/-रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाता है जो वह विचारण न्यायालय के समक्ष एक माह के भीतर जमा करवायेगा। उक्त अभियोजन व्यय राशि 2000/-रूपये (अखरे रूपये दो हजार) बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी श्रीनिवास के पुत्र बजरंग को अदा की जावें।

अपीलार्थी/अभियुक्त अजीज द्वारा परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत उपरोक्तानुसार बंधपत्र व प्रतिभूपत्र विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष एक माह के भीतर पेश कर तस्दीक नहीं करवाने पर विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के द्वारा पारित दण्डादेश आदेश दिनांक 21-03-2017 प्रभावी रहेगा।

विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ को लौटाई जाए।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

16- निर्णय आज दिनांक 06-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर सेशन न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-